महत्वपूर्ण

संख्याः-06/2022/405/78-1-2022-01आई0टी0/2022

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 **लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2022**

विषयः- मैसर्स सैमक्वांग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत भूमि की प्रचलित दरों में प्रदान की गयी छूट की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः-05/2022/321/78-01-2022-01आई0टी0/2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 एवं वरिष्ठ प्रबन्धक (साफ्टवेयर)/प्रभारी (प्रशासन/लेखा), यूपीएलसी के पत्र संख्याः-यूपीएलसीःआईसीपीः9064 (2021-22), दिनांक 30 मार्च, 2022 **(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपरोक्त शासनादेश** संख्याः-05/2022/321/78-01-2022-01आई0टी0/2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 में संशोधन करते हुये रु0 18,51,08,515.00/- धनराशि **मेसर्स सैमक्वांग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 के स्थान पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।**

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **शासनादेश** संख्याः-05/2022/321/78-01-2022-01आई0टी0/2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 के प्रस्तर-2 में में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2022 के प्रस्तर-2 में निहित प्रविधान/व्यवस्था	वर्तमान प्राविधान/व्यवस्था
चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक लेखाशीर्षक ''2852-उद्योग,07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग,202- इलेक्ट्रानिक्स,20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपये पचॉस करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 46,59,04,200.00/- (रू0 छियालिस करोड, उनसठ लाख, चार हजार, दो सौ मात्र) में से मैसर्स सैमक्वांग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत भूमि की प्रचलित दरों में छूट उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि रु0 18,51,08,515/- (रूपये अट्ठारह करोड, इक्यावन	चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक लेखाशीर्षक ''2852-उद्योग,07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग,202- इलेक्ट्रानिक्स,20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपये पचॉस करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 46,59,04,200.00/- (रू0 छियालिस करोड, उनसठ लाख, चार हजार, दो सौ मात्र) में से मैसर्स सैमक्वांग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत भूमि की प्रचलित दरों में प्रदान की गयी छूट की प्रतिपूर्ति ग्रेटर नोएडा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाख, आठ हजार, पॉच सौ पन्द्रह मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त धनराशि को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा आहरित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।	औद्योगिक विकास प्राधिकरण को किये जाने हेतु धनराशि रु0 18,51,08,515/- (रूपये अट्ठारह करोड, इक्यावन लाख, आठ हजार, पॉच सौ पन्द्रह मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त धनराशि को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा आहरित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2022 के शेष प्राविधान यथावत रहेगें। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

संख्या:-06/2022/405(1)/78-1-2022-01आई0टी0/2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2
12- अनु सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।